सं.19030/3/2008-संस्था IV
वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग

नई दिल्ली, 19 नवंबर, 2008

कार्यालय ज्ञापन

विषय: परिवहन भत्ता नियम-छठे केन्द्रीय वेतन आयोग का कार्यान्वयन ।

उपर्युक्त विषय पर इस विभाग के दिनांक 23/9/2008 के समसंख्यक का. ज्ञा. के जारी होने के परिणामस्वरूप, संशोधित परिवहन भत्ता नियमों के कार्यान्वयन के संबंध में कई सारे प्रश्न प्राप्त हुए हैं । संदर्भों के माध्यम से उठाई गई कुछ बातें इस प्रकार हैं:-

(i) क्या शहर के भीतर यात्रा के लिए भोजन बिल तथा यात्रा प्रभारों की प्रतिपूर्ति हेतु रसीद सरकारी कर्मचारी द्वारा अनिवार्यत: प्रस्तुत की जानी है ?

(ii) वह कर्मचारी जो होटल/गेस्ट हाउस में नहीं ठहरता है और स्वयं रहने की व्यवस्था करता है, को दैनिक भत्ते का भुगतान किस तरह किया जाएगा ?

(iii) यदि किसी मामले में दौरे पर रहने के दौरान, कर्मचारी सरकारी गेस्ट हाउस में ठहरता है और कमरे में रहने का कोई प्रभार अदा नहीं करता है, तो उसे दैनिक भत्ता किस प्रकार दिया जाएगा ?

(iv) यदि कोई कर्मचारी दौरे के दौरान बारह घंटों के भीतर ही वापस मुख्यालय लौट आता है तो उसे अदा किए जाने वाले दैनिक भत्ते की दर क्या होगी ?

2. दौरे पर परिवहन भत्ते/दैनिक भत्ते के संबंध में छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के संदर्भ में, यह स्पष्ट किया जाता है कि इस विभाग के दिनांक 23 सितम्बर, 2008 के का. ज्ञा. सं. 19030/3/2008-संस्था IV के तहत यथा परिचालित परिवहन भत्ता/दैनिक भत्ता नियमों की समीक्षा होने पर दौरे पर केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को दैनिक भत्ता आर्थिक संदर्भ में अब से स्वीकार्य नहीं होगा । यह भी स्पष्ट किया जाता है कि प्रतिपूर्ति की सामान्य प्रक्रिया के अनुसार वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति निर्धारित सीमा में ही होगी ।

(कर्ण सिंह)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग आदि ।

प्रतिलिपि:

(i) सभी राज्य सरकारें तथा संघ शासित क्षेत्र ।
(ii) सभी राज्यों के राज्यपाल/संघ शासित क्षेत्रों के उप-राज्यपाल ।
(iii) भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक तथा उनके अधीन सभी कार्यालय ।
(iv) संघ लोक सेवा आयोग, सर्वोच्च न्यायालय, निर्वाचन आयोग, केन्द्रीय सतर्कता आयोग, कार्मिक विभाग (ए आई एस प्रभाग), लोक सभा/ राज्य सभा सचिवालय, आयुक्त, दिल्ली नगर निगम; तथा
(v) जे सी एम की राष्ट्रीय परिषद के कर्मचारी पक्ष के सभी सदस्य ।